न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्ष : श्री एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 168–III/2014 – विरूद्व आदेश दिनांक 18–11–2013 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग,सागर–प्रकरण कमांक 257 अ 19/2002–03

1– अनीता पिता रामशॅकर
2– फुल्ली बल्द मथुराप्रसाद
3– छोटेलाल फोत वारिस
श्रीमती शांतिदेवी पत्नि स्व.छोटेलाल
4– शकुन्तला पिता नरेन्द्रकुमार
सभी निवासी बड़गॉव तहसील व जिला पन्ना ———आवेदकगण

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदक

(आवेदकगण की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)
(अनावेदक के पैनल अभिभाषक श्री बो0एन0त्यागी)

आ दे श
(आज दिनांक २१–५–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 257 अ 19/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 18–11–2.013 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बड़ागॉव तहसील पन्ना स्थित भूमि सर्वे कमांक7,8, 9, 26, 34, 50, 408, 415, 417, 2050/1, 2169, 2478, 2557/1 से बने नवीन नंबरों का व्यवस्थापन अलग अलग नाम के व्यक्तियों के हित में किया गया। इन्हीं भूमियों में आवेदकों के हित में निम्नानुसार भूमि का व्यवस्थापन हुआ है :–

आवेदक का नाम	सर्वे नंबर	रकबा	आदेश दिनांक
1– अनीता पिता रामशॅकर	9/1 नया नंबर 6	1.00	2.4.91
2– फुल्ली बल्द मथुराप्रसाद	2557/1 नया नंबर 778,780,782	1.00	17.3.91

3– छोटेलाल फोत	3179/2क नया नंबर 903,904	0.170	11.1.91
4– शकुन्तला पिता नरेन्द्रकुमार	3179/2 नया नंबर 913,916	1.700	2.4.91

तहसीलदार देवेन्द्रनगर ने कलेक्टर पन्ना को इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक 1–12–99 प्रस्तुत किया कि ग्राम बड़ागॉव एंव कोढ़नपुर के वर्ष 1990–91 के खसरे में अवैध रूप से अनेक व्यक्तियों के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज होना पाये गये है। इस पर कलेक्टर पन्ना ने प्रकरण कमांक 131/2001–02 निगरानी पंजीबद्व किया तथा आवेदकगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया। कलेक्टर पन्ना ने आवेदकगण की सुनवाई कर आदेश दिनांक 30.9.2002 पारित किया तथा आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर खसरे में अंकित आ रही भूमि को शासकीय घोषित करते हुये अतिकमण हटाये जाने के आदेश दिये। इस आदेश से दुखी होकर आवेदकगण ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 257/अ–19/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 18–11–2013 से निगरानी निरस्त की। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि व्यवस्थापन वर्ष 1991 में हुआ है तभी से आवेदकगण उन्हें आवंटित भूमि पर खेती करते आ रहे है। आवेदकगण ने बन्टन के पूर्व पड़त व उत्बड़–खाबड़ जमीन को समतल करके उपजाउ बनाया है एंव टयूव वैल लगाकर कृषि योग्य बनाया है जो अब उनकी आजीविका का साधन है। कलेक्टर पन्ना ने अत्याधिक विलम्ब से स्वमेव निगरानी की है जबकि म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 में एंव म्याद अधिनियम में स्वमेव निगरानी के लिये समय सीमा निर्धारित है। आवंटित जमीन पर आवेदकों व्दारा अत्याधिक धन व्यय करने एंव कृषि योग्य बनाने के कारण अब भूमि व्यवस्थापन को निरस्त करने में कलेक्टर पन्ना ने भूल की है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त, सागर संभाग एंव कलेक्टर पन्ना के आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की।

शासन के पैनल अभिभाषक ने बताया कि स्वमेव निगरानी के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। भूमि व्यवस्थापन की त्रृटिपूर्ण प्रविष्टि खसरे में आ रही थी जिसे कलेक्टर पन्ना ने स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया है। उन्होंने अपर आयुक्त एंव कलेक्टर पन्ना के आदेश को यथावत् रखने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि कलेक्टर पन्ना ने आदेश दिनांक 30–9–2002 के पद 5 में प्रत्येक आवेदक के नाम के आगे कालम नंबर 3 में सर्वे नंबर, कालम नंबर 4 में नवीन बना सर्वे नंबर , कालम नंबर 5 में भूमि का रकबा तथा कालम नंबर 6 में व्यवस्थापन आदेश दिनांक अंकित किया है अर्थात स्पष्ट है कि उपरोक्त पद 2 में अंकित आदेश दिनांक अनुसार आवेदकगण के हित में भूमि का बन्टन/व्यवस्थापन हुआ है। चारों आवेदकों के हित में वर्ष 1991 में व्यवस्थापन हुआ है, जिसे कलेक्टर पन्ना ने आदेश दिनांक 30.9.2002 से अर्थात 11 वर्ष वाद निरस्त किया है। इन 11 वर्षो तक आवेदकगण वादोक्त भूमि पर खेती करते रहे, उसे कृषि योग्य बनाने हेतु समतलीकरण किया गया, टयूव वैल उत्खनित किया गया और शासकीय कर्मकारों जैसे हलका पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायव तहसीलदार/तहसीलदार को पता न चला हो, तथ्य माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि हलका पटवारी संहिता की धारा 121 के अंतर्गत बने पटवारी नियम 6 (2) के अनुसार प्रत्येक वर्ष मौके पर प्रत्येक खेत पर जाकर प्रत्येक सर्वे नंबर की गस्त करके नवीन खसरा बनाता है तब यह नहीं माना जा सकता कि भूमि बन्टन/व्यवस्थापन की जानकारी यथा–समय शासकीय कर्मकारों को नहीं हुई। कलेक्टर पन्ना से 11 वर्ष के अंतराल पर स्वमेव निगरानी में आदेश पारित कर आवेदकगण के हित में वर्ष 1991 में हुआ बंटन/व्यवस्थापन निरस्त किया है। मोहम्मद कबी विरूद्व फातमा वाई इब्राहिम – प्र.क. 5023/1985 में माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने दिनांक 22–8–97 को निर्णय दिया है कि " परिसीमा – स्वप्रेरणा से जांच की शक्ति – कानून के अधीन परिसीमा की अवधि उपबंधित नहीं – युक्तियुक्त समय के भीतर प्रारंभ की जाना चाहिये – प्रयोजन के लिये एक वर्ष अयुक्तियुक्त हो सकता है। इसी प्रकार 2000 राजस्व निर्णय 161 रबिनारायण विरूद्व म0प्र0राज्य में पैरा 6 का दृष्टांत है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति – सात वर्ष पश्चात विलम्ब के लिये स्पष्टीकरण के बिना प्रयुक्त नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि कलेक्टर पन्ना व्दारा 11 वर्ष के अंतराल पर पारित आदेश दिनांक 30.9.2002 अत्याधिक विलम्बित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ प्रकरण में आये तथ्यों से विचार योग्य बिन्दु यह भी है कि वर्ष 1991 में भूमि व्यवस्थापित होने एंव बन्टन के पूर्व पड़त व उत्बड़–खाबड़ जमीन को समतल करके उपजाउत्र बना लेने एंव टयूव वैल लगाकर कृषि योग्य बना लेने के कारण आवेदकगण वादोक्त भूमि में काफी धन एंव श्रम व्यय कर चुके हैं । वर्तमान में यही भूमि आवेदकगण की आजीविका का साधन बन जाने के कारण आज की स्थिति में ऐसे

बंटन/व्यवस्थापन निरस्त करना उचित माना जावेगा। ऐसी स्थिति में आवेदकगण को आवंटित/व्यवस्थापित भूमि से अब बंचित करना न्याय की श्रेणी में नहीं माना जावेगा, किन्तु अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर ने आदेश दिनांक 18—11—2013 पारित करते समय तथा कलेक्टर पन्ना ने आदेश दिनांक 30.9.2002 पारित करते समय इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है और इन्हीं कारणों से उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 287 अ—19/2002—03 में पारित आदेश दिनांक 18—11—2013 तथा कलेक्टर पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 131/2001—02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30—9—2002 आवेदकगण के हित तक निरस्त किया जाता है । तदनुसार इस आदेश के पद 2 में वर्णित अनुसार भूमि आवेदकगण के नाम अंकित की जावे।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर /2014 R - 168 - III/14

श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा अभि० द्वारा आज दि. 13-1-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
12.45 P.M

रजनी वशिष्ठ शर्मा (225) द्वारा प्रस्तुत 13/1/14

1. अनीता पिता रामशंकर
2. फुल्ली वल्द मथुराप्रसाद,
3 छोटेलाल (फौत) वारिस पत्नी शांतिदेवी,
4 शंकुन्तला पिता नरेन्द्र कुमार,

सभी निवासी–बड़गांव, तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.)

———**आवेदकगण**

बनाम

म.प्र. शासन ——**अनावेदक**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश न्यायालय, अपर आयुक्त ~~जिला~~ सागर, संभाग सागर, मध्यप्रदेश द्वारा प्रकरण क्रमांक 257/अ–19/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 18/11/2013 के विरूद्ध।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी अदंर अवधि निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के मुख्य तथ्य –

1. यह कि, आवेदकगणों के अनुसार आवेदकगण एवं लिस्ट अनुसार 51 अन्य आवेदकगण के व्यवस्थापन को निरस्त करने के लिये तहसीलदार देवेन्द्र नगर ने ग्राम बड़ां गांव एवं कोढ़नपुरवा की भूमि के व्यवस्थापन को निरस्त करने का अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को भेजा।

Tem-3/d (sunil)